न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः–15/अ–59/2017–18/ 12054 बैतूल दिनांक 07/11/2017

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 07 रा. नि. मं. शाहपुर तहसील शाहपुर जिला बैतूल द्वारा तहसीलदार शाहपुर के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 25–5–2017 को ग्राम पंचायत झापड़ी के भ्रमण के दौरान ग्राम बेहरापुरा के निवासी लालसिंह पिता सुखलाल जाति कोरकू एवं बाबूलाल पिता लालसिंह कोरकू द्वारा आवासीय पट्टा प्रदान करने का अनुरोध किए जाने पर कलेक्टर महोदय द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त संबंध में मौका जॉच करने पर पाया गया कि, दोनो आवेदक ग्राम बेहरापुरा स्थित खसरा नंबर 22 रकबा 0.388 हेक्टेयर मद चरनोई पर कच्चा मकान बनाकर निवासरत् है। आवेदकगण जिस भूमि पर निवासरत् है, वह भूमि चरनोई मद की होने के कारण आवासीय पट्टा प्रदान करने के लिए, उक्त भूमि का मद परिवर्तन किया जाकर आबादी घोषित करना होगा।

2— हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार शाहपुर द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:—

(1)— मौजा बेहरापुरा तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 22 रकबा 0.388 हेक्टेयर में से 0.020 हेक्टेयर की नोईयत परिवर्तन कर आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)— ग्राम पंचायत झापड़ी की बैठक में, मौजा बेहरापुरा स्थित खसरा नंबर 22 रकबा 0.388 हेक्टेयर पर निवासरत लालसिंह पिता सुखलाल जाति कोरकू एवं बाबूलाल पिता लालसिंह कोरकू को आवासीय पट्टा देने के लिए उक्त भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया है।

(3)— वर्तमान राजस्व अभिलेख खसरा वर्ष 2016–17 के अनुसार मौजा बेहरापुरा तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 22 रकबा 0388 हेक्टेयर, भूमि चरनोई मद में दर्ज है, तथा अधिकार अभिलेख वर्ष 1968–69 के अनुसार खसरा नंबर 22 रकबा 0.388 हेक्टेयर घॉस मद में दर्ज है।

(4)— ग्राम भयावाड़ी का मकबूजा रकबा 21.519 हेक्टेयर है, तथा ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 52.363 हेक्टैयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से चरनोई का रक्षित रकबा 0.430 हेक्टेयर उपलब्ध रहना अनिवार्य है। किन्तु वर्तमान में ग्राम में चरनोई का उपलब्ध रकबा न्यूनतम रक्षित रकबे से अधिक है। चरनोई के रकबे में से 0.020 हेक्टेयर को आबादी घोषित किए जाने के बाद भी ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा, न्यूनतम रक्षित रकबे से कम नहीं होगा।

(5)— तहसीलदार शाहपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर द्वारा मौजा बेहरापुरा तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 22 रकबा 0.388 हेक्टेयर मद चरनोई में से 0.020 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

न्यायालय अपर कलेक्टर बैतूल (म.प्र.)

(6)

3— मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—237 (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक रख सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक— कमांक 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8—11—2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः— 2489 दिनांक 25—2—2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4— अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति एवं तहसीलदार शाहपुर/अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर के प्रतिवेदन व अभिमत के आधार पर, मौजा बेहरापुरा तहसील शाहपुर स्थित खसरा नंबर 22 रकबा 0.388 हेक्टेयर में से 0.020 हेक्टेयर भूमि (जिसे नक्शे में लाल स्याही से चिन्हित किया गया है) को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास स्वीकृत किया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल.

पृ0क्र0:—15/अ—59/2017—178/ 12054 बैतूल दिनांक 07/11/2017

प्रतिलिपिः—

1— अनुविभागीय अधिकारी (रा0) शाहपुर।

2— तहसीलदार शाहपुर ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3— जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4— जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5— सचिव ग्राम पंचायत झापड़ी जनपद पंचायत शाहपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला—बैतूल
अपर कलेक्टर
बैतूल